



न्यायालय

## सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2022 / 412

दर्ज तिथि:-21.12.2022

1. कमलेश पुत्र सदराम
2. जैकनराम पुत्र मंगलाराम
3. फगलुराम पुत्र रणूराम
4. बुधराम पुत्र रणूराम
5. भजनलाल पुत्र सदराम
6. भीयाराम पुत्र मंगलाराम
7. लूंगोदेवी पत्नी मंगलाराम
8. शैतानराम पुत्र सदराम
9. शांतिदेवी पत्नी सदराम
10. हीराराम पुत्र रणूराम

जाति विश्नोई निवासी खिचड़ों का वास तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. अणसीदेवी पत्नी भीखाराम
2. गोमदाराम पुत्र पोकराराम
3. जीयाराम पुत्र पोकराराम
4. तेजा पुत्र जोधा
5. मीरादेवी पत्नी पोकराराम फौत के कायम मुकाम  
5/1 गोमदाराम पुत्र पोकराराम  
5/2 जीयाराम पुत्र पोकराराम
6. मोबताराम पुत्र भीखाराम
7. लाधू पुत्र धना
8. लाधू पुत्र जोधा
9. श्रीराम पुत्र भीखाराम
10. हेमाराम पुत्र भीखाराम  
जाति विश्नोई निवासी खिचड़ों का वास तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।
11. अमरा पुत्र भाखरा
12. चौखा पुत्र भाखरा फौत के कायम मुकाम  
12/1 किशनाराम पुत्र चौखाराम
13. निम्बा पुत्र भाखरा  
जाति विश्नोई निवासी शौभाला दर्शन तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।



14. तहसीलदार नौखड़ा

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री डालूराम चौधरी

प्रतिवादीगण:-श्री चिमनसिंह चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-10.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 672/21.2298 है0 मौजा खीचड़ों का वास तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 एवं 03 के अतिरिक्त शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध बावजूद विधिवत तामील अनुस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा दौरान-ए-बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06.06.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार गुढामालानी से कुर्रजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1710 दिनांक 15.10.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार

गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1710 दिनांक 15.10.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p><b>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</b> - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 04.10.2024 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस पत्रांक/2024/417-438 दिनांक 23.09.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 04.10.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस पत्रांक/2024/417-438 दिनांक 23.09.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 04.10.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2075-2078 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 672/21.2298 है0 मौजा खीचड़ों का वास तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामिली कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात् अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:—

**प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जा:—** प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

**द्वितीय— सुविधा का सन्तुलन:—** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

**तृतीय— अपूरणीय क्षति:—** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 672/21.2298 है0 मौजा खीचड़ों का वास तहसील नौखड़ा जिला बाडमेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नौखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
कमलेश पुत्र सदराम हि0 1/4 हीराराम पुत्र रणूराम हि0 1/4 जीयाराम पुत्र पोकरराम हि0 1/4 लाधुराम पुत्र धनाराम हि0 1/4 कौम विश्णोई सा0 देह खातेदार	खीचड़ों का वास	672	0.5504	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.5504 है0				
कमलेश पुत्र सदराम हि0 1/32 भजनलाल पुत्र सदराम हि0 1/32 शैतानराम पुत्र सदराम हि0 1/32 शांतिदेवी पत्नी सदराम हि0 1/32 जैकनराम पुत्र मंगलाराम हि0 1/8 भीयाराम पुत्र मंगलाराम हि0 1/8 लूंगोदवी पत्नी मंगलाराम हि0 1/8 फगलूराम पुत्र रणूराम हि0 1/6 बुधाराम पुत्र रणूराम हि0 1/6 हीराराम पुत्र रणूराम हि0 1/6 जाति विश्णोई सा0 देह खातेदार	खीचड़ों का वास	672 672	3.8768 3.8768	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 7.7536 है0				
अणसीदेवी पत्नी भीखाराम हि0 319/86238 अमरा पुत्र भाखरा हि0 319/9582 चौखाराम पुत्र भाखरा हि0 319/9582 जीयाराम पुत्र पोकराराम हि0 639/3194 तेजा पुत्र जोधा हि0 319/9582 नीम्बा पुत्र भाखरा हि0 319/9582 मोबताराम पुत्र भीखाराम हि0 1276/129357 रतनीदेवी पत्नी केसाराम हि0 639/3194 लाधु पुत्र धना हि0 639/1597 लाधुराम पुत्र जोधाराम हि0 319/9582 श्रीराम पुत्र भीखाराम हि0 1276/129357 हेमाराम पुत्र भीखाराम हि0 1276/129357 जाति विश्णोई सा0 देह खातेदार रहन-रतनीदेवी का हिस्सा एसबीआई शाखा गुडामालानी	खीचड़ों का वास	672 672	2.5818 10.3440	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 12.9258 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुढामालानी-बाड़मेर





न्यायालय

## सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2022 / 412

दर्ज तिथि:-21.12.2022

1. कमलेश पुत्र सदराम
2. जैकनराम पुत्र मंगलाराम
3. फगलुराम पुत्र रणूराम
4. बुधराम पुत्र रणूराम
5. भजनलाल पुत्र सदराम
6. भीयाराम पुत्र मंगलाराम
7. लूंगोदेवी पत्नी मंगलाराम
8. शैतानराम पुत्र सदराम
9. शांतिदेवी पत्नी सदराम
10. हीराराम पुत्र रणूराम

जाति विश्नोई निवासी खिचड़ों का वास तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. अणसीदेवी पत्नी भीखाराम
2. गोमदाराम पुत्र पोकराराम
3. जीयाराम पुत्र पोकराराम
4. तेजा पुत्र जोधा
5. मीरादेवी पत्नी पोकराराम फौत के कायम मुकाम  
5/1 गोमदाराम पुत्र पोकराराम  
5/2 जीयाराम पुत्र पोकराराम
6. मोबताराम पुत्र भीखाराम
7. लाधू पुत्र धना
8. लाधू पुत्र जोधा
9. श्रीराम पुत्र भीखाराम
10. हेमाराम पुत्र भीखाराम  
जाति विश्नोई निवासी खिचड़ों का वास तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर।
11. अमरा पुत्र भाखरा
12. चौखा पुत्र भाखरा फौत के कायम मुकाम  
12/1 किशनाराम पुत्र चौखाराम
13. निम्बा पुत्र भाखरा  
जाति विश्नोई निवासी शौभाला दर्शन तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

14. तहसीलदार नौखड़ा

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री डालूराम चौधरी

प्रतिवादीगण:-श्री चिमनसिंह चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधि-1955

---:पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 672/21.2298 है0 मौजा खीचड़ों का वास तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नौखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
कमलेश पुत्र सदराम हि0 1/4 हीराराम पुत्र रणूराम हि0 1/4 जीयाराम पुत्र पोकरराम हि0 1/4 लाधुराम पुत्र धनाराम हि0 1/4 कौम विश्नोई सा0 देह खातेदार	खीचड़ों का वास	672	0.5504	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.5504 है0				
कमलेश पुत्र सदराम हि0 1/32 भजनलाल पुत्र सदराम हि0 1/32 शैतानराम पुत्र सदराम हि0 1/32 शांतिदेवी पत्नी सदराम हि0 1/32 जैकनराम पुत्र मंगलाराम हि0 1/8 भीयाराम पुत्र मंगलाराम हि0 1/8 लूंगोदवी पत्नी मंगलाराम हि0 1/8 फगलूराम पुत्र रणूराम हि0 1/6 बुधाराम पुत्र रणूराम हि0 1/6 हीराराम पुत्र रणूराम हि0 1/6 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार	खीचड़ों का वास	672 672	3.8768 3.8768	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 7.7536 है0				

अणसीदेवी पत्नी भीखाराम हि0 319/86238 अमरा पुत्र भाखरा हि0 319/9582 चौखाराम पुत्र भाखरा हि0 319/9582 जीयाराम पुत्र पोकराराम हि0 639/3194 तेजा पुत्र जोधा हि0 319/9582 नीम्बा पुत्र भाखरा हि0 319/9582 मोबताराम पुत्र भीखाराम हि0 1276/129357 रतनीदेवी पत्नी केसाराम हि0 639/3194 लाधु पुत्र धना हि0 639/1597 लाधुराम पुत्र जोधाराम हि0 319/9582 श्रीराम पुत्र भीखाराम हि0 1276/129357 हेमाराम पुत्र भीखाराम हि0 1276/129357 जाति विश्‍नोई सा0 देह खातेदार रहन-रतनीदेवी का हिस्सा एसबीआई शाखा गुडामालानी	खीचड़ों का वास	672 672	2.5818 10.3440	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 12.9258 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो।  
खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुडामालानी-बाड़मेर